न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

अपील संख्या :– 312/2017 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. रामकिशोर पुत्र अनन्तराम (मृतक)
   1/1 चिरंजीलाल
   1/2 दीपचंद
   } पिसरान रामकिशोर जाति हिन्दु तेली निवासी गुढाचन्द्रजी तहसील नदौती जिला करौली।

.....**अपीलान्टस**

बनाम

1 तहसीलदार तहसील नदौती जिला करौली।
2 प्रधानाचार्य राजकीय उच्च मा0वि0 गुढाचन्द्रजी तहसील नदौती जिला करौली।

.....**रैस्पोडेन्टस**

अपील विरूद्ध अति0 जिला कलक्टर करौली अपील संख्या 24/2014 रा0उ0मा0वि0 गुढाचन्द्रजी बनाम रामकिशोर निर्णय दिनांक 24.11.2014 व सिलसिले नामान्तरकरण संख्या 1977 दिनांक 23.7.2014

उपस्थितिः–
1. श्री श्याम मोहन शर्मा वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांकः– .6.2.2019

यह अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली के निर्णय दिनांक 24.11.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार नादौती के निर्णय दिनांक 25.6.2014 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 1777 दिनांक 23.7.2017 भरा गया। इस नामान्तरकरण के खिलाफ अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली के समक्ष पेश की गई । तहत अदालत द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश 24.11.2014 इस आशय का पारित किया कि " यह नामान्तरकरण तहसीलदार नादौती के निर्णय दिनांक 25.6.2014 की पालना में भरा गया है इसी नामान्तरकरण संबधी विवादित भूमि खसरा नम्बर 3064, 3065, 3069 वाकै ग्राम गुढाचन्द्रजी के आदेश के खिलाफ रा0उ0मा0वि0 गुढाचन्द्रजी द्वारा अति0 कलक्टर करौली के समक्ष अपील संख्या 18/2014 पेश की थी जिसमें समान पक्षकार थे। आदेश दिनांक 25.6.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील एडीएम करौली द्वारा दिनांक 24.11.2014 को ही स्वीकार की गई है। उसमें तहसीलदार नादौती के निर्णय दिनांक 25.6.2014 को निरस्त कर दिया गय है। जब आदेश ही निरस्त कर दिया है तो इस नामान्तरकरण में कोईकार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है। और अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संख्या 1777 निर्णय दिनांक 23.7.2014 ग्राम गुढाचन्द्रजी खारिज कर दिया गया है। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

पत्रावली दर्ज की गई । पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक को बहस सुनी गई। हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि इस प्रकरण से संबधित विवादित आराजी खसरा नम्बर 3064, 3065, 3069 वाकै ग्राम गुढाचन्द्रजी के संबध में न्यायालय हाजा द्वारा **अपील संख्या 311/2017 रामकिशोर बनाम तहसीलदार नादौती में विवेचनात्मक निर्णय दिनांक 6.2.2019** पारित करते हुये हर दो तहत अदालत तहसीलदार नादौती का निर्णय दिनांक 25.6.2014 एवं अतिरिक्त कलक्टर करौली का निर्णय दिनांक 24.11.2014 निरस्त किये जा चुके है और प्रकरण तहसीलदार नादौती को हिन्दुउत्तराधिकार अधिनियम के तहत गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया है। चूंकि दोनों ही अपीलों में समान पक्षकार, एक ही विवादास्पद भूमि एवं समान पक्षकारान के हित को देखते हुये चूंकि अपील संख्या 311/2017 रामकिशोर बनाम तहसीलदार नादौती में विवेचनात्मक निर्णय दिनांक 6.2.2019 पारित किया जा चुका है तो अब इस अपील का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.11.2014 व नामान्तरकरण संख्या 1777 दिनांक 23.7.2014 निरस्त किये जाते है। पक्षकार अपने विधिक वास्तविक हक–हकूकों के लिये न्यायालय हाजा की अपील संख्या 311/2017 रामकिशोर बनाम तहसीलदार नादौती में पारित निर्णय दिनांक 6.2.2019 के परिपेक्ष्य में नियमानुसार परीक्षण न्यायालय तहसीलदार नादौती के समक्ष चाराजोही कर अनुतोष प्राप्ती हेतु स्वतन्त्र रहते है।

निर्णय आज दिनांक 6.2.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official